पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2018 की सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 18833

==========

प्रियंका कुमारी पुत्री राजेश्वर सिंह, निवासी- ग्राम- रामसिंह छतौनी, रूपडीह, पूर्वी चंपारण और वर्तमान में रूम नं.- 11, ब्लॉक- सी, न्यू फैमिली क्वार्टर, बी.एम.पी.-5, थाना- एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस- बी.वी. कॉलेज, जिला- पटना की निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. प्रधान सचिव, गृह (विशेष) बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
3. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, बिहार, पटना।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना
5. कमांडेंट, बी. एम. पी., पटना।
6. अध्यक्ष, केंद्रीय चयन बोर्ड (कांस्टेबल भर्ती) श्री साई तारा परिसर, आई.ए.एस. कॉलोनी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना।
7. सचिव, केंद्रीय चयन बोर्ड (कांस्टेबल भर्ती), श्री साई तारा परिसर, आई.ए.एस. कॉलोनी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना।

....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता

श्री के. आर., झा, अधिवक्ता

श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री जी.ए.

सीएसबीसी के लिएः श्री संजय पांडे, अधिवक्ता

श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता

श्री विवेक आनंद अमृतेश, अधिवक्ता

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

याचिकाकर्ता द्वारा लम्बाई की गलत माप का दावा–पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए परीक्षा–मानक लम्बाई तथ्य का प्रश्न है–साक्ष्य दर्ज करके तय किया जाना है।

आदेश: यदि मुकदमा याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया जाता है–तो सिविल कोर्ट को मुकदमा शुरू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर इसका निपटारा होना चाहिए।

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

ओरल जजमेंट

तारीखः 08-04-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता की ऊंचाई को फिर से मापने का निर्देश देने के लिए दायर की गई है क्योंकि वह दावा करती है कि उसकी ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, लेकिन प्रतिवादी ने गलत तरीके से अपनी ऊँचाई 153.5 सेंटीमीटर मापी है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने उस परीक्षा में भाग लिया है जिसके लिए उत्तरदाताओं द्वारा विज्ञापनसं.1/2017 के तहत पुलिस उपनिरीक्षक

के पद पर चयन एवं नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। वकील यह भी प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता ने परीक्षा में भाग लिया और दो चरण की परीक्षा, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को पूरा करने के बाद, उसे सफल घोषित किया गया और उसे शारीरिक परीक्षण परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। वकील आगे प्रस्तुत करता है कि अधिकारियों ने उसकी ऊंचाई को गलत तरीके से 153.5 सेंटीमीटर के रूप में मापा, जिसके कारण याचिकाकर्ता का चयन नहीं किया जा सका।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शुरू में याचिकाकर्ता की ऊंचाई 153.5 सेंटीमीटर थी और उसके बाद, ऊंचाई को फिर से मापा गया और यह पाया गया कि यह 151.1 सेंटीमीटर है। वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की ऊंचाई को फिर से मापने का निर्देश दिया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता की ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है।

5. राज्य के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि ऊंचाई से संबंधित विवाद के संबंध में, इस न्यायालय के खंडपीठ द्वारा **रितु कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 895/2014 दिनांक 20.10.2014** में एक अनुपात तय किया गया है जिसमें यह माना गया है कि:-

> *"याचिकाकर्ता-अपीलार्थी की ऊँचाई क्या है और उसकी ऊँचाई आवश्यक मानक की है या नहीं, ये तथ्य के प्रश्न हैं और इन्हें साक्ष्य दर्ज करके तय किया जाना है।"*

6. प्रस्तुतियों के आलोक में, इस न्यायालय के पास खंड पीठ के निर्णय के आलोक में इस मामले पर निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है और यदि याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है, तो व्यवहार न्यायालय मुकदमे पर तेजी से विचार करेगा और अधिमानतः मुकदमे की स्थापना की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर इसका निपटारा करेगा।

7. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का एतद्द्वारा निपटारा किया जाता है।

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

एमकेआर./-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।